उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-8/2016/265/तीस-4-2016-135/89
लखनऊ दिनांक 20 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 56 के उप नियम (8) और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-2452/तीस-4-2008-135/89, दिनांक 11 नवम्बर, 2008 में निम्नवत् संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसूची मे क्रमांक-12 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्र0सं0	संभागीय परिवहन प्राधिकरण का नाम	संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य	संभाग का नाम	क्षेत्र
1	2	3	4	5
01.	सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अलीगढ़	1.आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल -अध्यक्ष 2. डा0 प्रशान्त यादव, पुत्र श्री राजपाल सिंह यादव, निवासी ग्राम बुधू, पो0 टुकसान, इगलास रोड, हाथरस। -सदस्य	अलीगढ़	अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा जिले

आज्ञा से,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-8/2016/265(1)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 20 अप्रैल, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-8/2016/265(2)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम, लखनऊ।
4- निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- डा0 प्रशान्त यादव, पुत्र श्री राजपाल सिंह यादव, निवासी ग्राम बुधू, पो0 दुकसान, इगलास रोड, हाथरस।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.8/2016/265/XXX-4-2016-135/89 dated, April 20, 2016.

Notification

No.8/2016/265/ xxx-4-2016-135/89
Lucknow: Dated, April 20, 2016

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (2) of section-68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no.59 of 1988) read with sub-rule (8) of rule 56 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following amendment in Government Notification no.2452/XXX-4-2008-135/89 dated, November 11, 2008:-

AMENDMENT

In the aforesaid Notification, in the schedule for the entries at the serial no-12 the following entries shall coloumwise be substituted namely:-

Sr. No.	Name of the Regional Transport Authority	Members of the Regional Transport Authority	Name of the Region	Area
1	2	3	4	5
1.	Regional Transport Authority, Aligarh	1-Commissioner, Aligarh Division -Chairman 2-Dr. Prashant Yadav S/o Sri Rajpal Yadav, R/o Budhu, Tuksan, Iglas Road, Hathrash. -Member	Aligarh	Aligarh, Hathrash, Kashganj, Etah Districts.

By Order,

Kumar Arvind Singh Deo
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।